संख्या-590/2020/906/22-2-2020-17(45)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2020***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधे लोनिया पुत्र श्री श्रीराम, निवासी जनपद-बाराबंकी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24565/प्रोवेशन-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राधे लोनिया पुत्र श्री श्रीराम, ग्राम-गदईपुर, थाना-जहांगीरबाद, जनपद-बाराबंकी का निवासी है। बन्दी ने पैसे के लेन-देन के विवाद में दिनांक 26.07.1995 को अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से मारकर एवं अद्धी से फायर कर मद्दू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), बाराबंकी के आदेश दिनांक 22.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 19 वर्ष 07 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 11 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा- 3(2)(5) के अन्तर्गत दण्डित किये जाने एवं उक्त अधिनियम, 1989 की विषयवस्तु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची की सूची-**III**, समवर्ती सूची व सूची-**II**, राज्य सूची में उल्लिखित प्रविष्टियों मे से किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत न आने की दशा में, सूची -1 एवं संघ सूची में उल्लिखित प्रविष्टि 97 (संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों) के अन्तर्गत विधि निर्मित करने की शक्ति मात्र संसद को प्राप्त होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी राधे लोनिया पुत्र श्री श्रीराम को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राधे लोनिया (बन्दी संख्या-45390) पुत्र श्री श्रीराम, निवासी जनपद-बाराबंकी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-590/2020/906(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in